न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ।

मु0सं0– **845/22**

सरकार बनाम **मोनिश सलमानी।**

मु0अ0सं0– **307/22**

धारा– **379,411** आई0पी0सी0

थाना– **जी0आर0पी0**लखनऊ।

निर्णय

पुकार करायी गयी। अभियुक्त मोनिश सलमानी पुकार पर जिला कारागार से न्यायालय उपस्थित। इसी स्तर पर अभियुंक्त **मोनिश सलमानी** की ओर से अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति हेतु एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, और कथन किया कि वह स्वेछया जुर्म स्वीकार करना चाहता है,तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसका वाद समाप्त कर दिया जाये।

अभियुक्त का बयान अंकित किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तथा बयान में किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा– **379,411** आई0पी0सी0 में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मोनिश सलमानी** को अपराध अंतर्गत धारा– **379,411** आई0पी0सी0 में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जेल में है, दण्ड के प्रश्न पर तर्क प्रस्तुत किये जायें।

दिनांक:**22–11–2022** **(प्रशान्त मिश्रा),**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ।

दण्ड के प्रश्न पश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त गरीब है,कोई पैरवी करने वाला नही है तथा भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जेल में है,इसी को दृष्टिगत रखते हुए उसके दण्ड का निर्धारण किया जाये।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नवत दण्डित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

दण्डादेश

अभियुक्त मोनिश सलमानी को अपराध अंतर्गत धारा– 379,411 आई0पी0सी0 में दोषी पाते हुए अपराध अंतर्गत धारा– 379 आई0पी0सी0 कारित करने हेतु छः माह के कारावास एवँ पॉच हजार रूपये अर्थ दण्ड, अपराध अंतर्गत धारा– 411 आई0पी0सी0 कारित करने हेतु छः माह के कारावास एवँ पॉच हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड की धनराशि अदा न करने की स्थिति में कमशः पन्द्रह दिन व पन्द्रह दिन का साधारण करावास भुगतना होगा। दौरान विचारण जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी। सभी सजायें साथ चलेंगी। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बना कर जिला कारागार प्रेशित किया जाये।

दिनांकः **22–11–2022** **(प्रशान्त मिश्रा),**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ।

यह निर्णय एवँ दण्डादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवँ दिनांकित कर आज खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः **22–11–2022** **(प्रशान्त मिश्रा),**

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

पूर्वोत्तर रेलवे,लखनऊ।